न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र0श्रे0), श्रीनगर, जिला पौड़ी गढ़वाल।

वाहन रिलीज प्रार्थना पत्र संख्या– 80/2026

शेषमन बनाम उत्तराखण्ड सरकार

माल स्वामी–शेषमन पुत्र दयाशंकर
निवासी–तुकुनिया लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश।

वाहन संख्या–UP-13-CM-3449
धारा–194–एफ(बी), 207 एम.वी. एक्ट
थाना–श्रीनगर, जिला पौड़ी गढ़वाल।

निस्तारण वाहन रिलीज प्रार्थना पत्र

दिनांकः 10.08.2026

पत्रावली पेश। प्रस्तुत मामले में आज की तिथि वाहन निर्मुक्त प्रार्थना पत्र के सुनवाई/निस्तारण हेतु नियत है।

2. प्रस्तुत मामले में प्रार्थी वाहन स्वामी शेषमन के द्वारा वाहन सख्या–**UP-13-CM-3449** के निर्मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर संक्षेप में कथन किया है कि प्रार्थी वाहन सख्या–**UP-13-CM-3449** का पंजीकृत स्वामी है। कोतवाली श्रीनगर द्वारा प्रार्थी/वाहन स्वामी के वाहन को मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं 194–एफ(बी), 207 मोटर यान अधिनियम में सीज किया गया है। प्रार्थी अपने स्वामित्व के उपरोक्त वाहन को माननीय न्यायालय से अवमुक्त करवाना चाहता है। कोतवाली श्रीनगर द्वारा उपरोक्त वाहन खुले परिसर में दिनांक 26.06.2026 से खड़ा किया गया है, जिससे वाहन के खराब होने की प्रबल संभावना है। अतः महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त वाहन को वाहन स्वामी के हक में अवमुक्त करने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

3. पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत वाहन पंजीकृत धारा– 1 194–एफ(बी), 207 मोटर यान अधिनियम में थाना श्रीनगर में निरूद्ध है।

4. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री सुबोध भट्ट। उत्तराखण्ड राज्य की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी श्री मोनार्च रावत उपस्थित। पक्षकारों के अधिवक्तगण को वाहन निर्मुक्त प्रार्थना पत्र के प्रश्न पर सुना गया तथा सम्बन्धित प्रपत्रों का परिशीलन किया।

5. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के निस्तारण में मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या प्रश्नगत वाहन को प्रार्थी के पक्ष में निर्मुक्त किये जाने का आदेश पारित किया जाना चाहिए?

6. उभयपक्षों को सुनने तथा प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि थाना श्रीनगर, जिला पौड़ी गढ़वाल में प्रश्नगत वाहन अंतर्गत धारा– 194–एफ(बी), 207 मोटर यान अधिनियम एम.वी. एक्ट में निरूद्ध है। उत्तराखण्ड राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा वाहन को निर्मुक्त किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं की

गयी है। प्रार्थी की शिनाख्त उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी। उभयपक्षों को सुनने तथा प्रपत्रों के अवलोकन से न्यायालय का समाधान हो गया है कि प्रार्थी का प्रश्नगत वाहन का पंजीकृत स्वामी होना दर्शित है। वाहन को निर्मुक्त न किये जाने से वाहन के खराब होने तथा उसके मूल्य में कमी होने की सम्भावना होगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा–497 सपठित धारा–503 में जांच या विचारण आदि के दौरान सम्पत्ति के व्ययन के संदर्भ में उचित अभिरक्षा के लिए आदेश पारित करने का अधिकार दण्ड न्यायालय को प्राप्त है।

7. **Sunderbhai Ambalal Desai vs. State of Gujrat (2002) 10 SCC 283** के विनिर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ ने निर्णय के पैरा 17 में सीज वाहन के अवमुक्त के बारे में अवधारित किया है कि 1**7.In our view, whatever be the situation, it is of no use to keep such seized vehicles at the police stations for a long period. It is for the Magistrate to pass appropriate orders immediately by taking appropriate bond and guarantee as well as security for return of the said vehicles, if requried at any point of time. This can be done pending hearing of applications for return of such vehicles.**

8. **General Insurance Council Vs. State of Andhra Pradesh, 2010(4) SCALE 141** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने सम्पत्ति के व्ययन के संदर्भ में सुन्दरभाई अम्बालाल देसाई के निर्णय में दिये गये निर्देशों के अतिरिक्त विभिन्न निर्देश जारी किये हैं, जिनमें यह भी अवधारित किया गया है कि **The photographs so taken may be used as secondary evidence during trial. Hence, physical production of the vehicle may be dispensed with.**

9. प्रस्तुत मामले में उभयपक्षों को सुनने तथा पत्रावली के परिशीलन से यह भी दर्शित है कि इस मामले में अभी तक चालानी रिपोर्ट न्यायालय में प्राप्त नहीं हुई है। इस संदर्भ में विनिर्णय **Anandi Devi vs State of Uttarakhand & Another 2019 (2) U.D. 253.** में माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि **Sub-section (2), to Section 207 of the Motor Vehicle Act. 1988 does not give exclusive power of release of a vehicle to the transport authority or any officer authorized in this behalf by the State Government and the Magistrate concerned is well within its jurisdiction to deal with any such release application, even prior to filing of the charge-sheet in the matter.**

10. इस प्रकार उपरोक्त वर्णित तथ्यों, परिस्थितियों, विनिर्णयों तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा–497 सपठित धारा–503 के उपबन्धों को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी **शेषमन** पुत्र श्री दयाशंकर के द्वारा प्रस्तुत वाहन निर्मुक्त प्रार्थना पत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाता हैः–

(i) प्रार्थी मुव0–60,000/–रूपये (साठ हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं इसी धनराशि का एक सक्षम एवं विश्वसनीय प्रतिभू प्रस्तुत करेगा।

(ii) प्रार्थी प्रश्नगत वाहन को न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर अपने खर्च पर पेश करेगा।

(iii) प्रार्थी प्रश्नगत वाहन के रूप रंग में मामला लम्बित रहने के दौरान कोई परिवर्तन नहीं करेगा।

(iv) प्रार्थी प्रश्नगत वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र आदि की दो–दो फोटोप्रतियां दाखिल करेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश वाहन रिलीज के संबंध में है। इस का संबंध वाहन के स्वामित्व से नहीं है।

थाना श्रीनगर, जिला पौड़ी गढ़वाल के भारसाधक अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत वाहन सख्या–**UP-13-CM-3449** को यदि अन्य किसी मामले में वांछित न हो तो उसे अविलम्ब प्रश्नगत वाहन को उसके पंजीकृत स्वामी के पक्ष में निर्मुक्त करें। कार्यालय के भारसाधक लिपिक को आदेशित किया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित थाने के भारसाधक अधिकारी को अबिलम्ब प्रेषित की जाए। तदनुसार वाहन निर्मुक्त प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है।

(अलका)
सिविल जज (जू0डि0)/
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र0श्रे0),
श्रीनगर, जिला पौड़ी गढ़वाल